UPKU010044672026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०–Id. No. UP2018**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1377/2026**

1– विश्वनाथ साहनी बउम्र 50 वर्ष पुत्र भरथ साहनी,

2– रवि साहनी बउम्र 20 साल पुत्र विश्वनाथ साहनी,

साकिनान– सुकरौली, थाना–खड्डा, जिला– कुशीनगर।

––– अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। –––विपक्षी

मु०अ०सं०– 337/2025
धारा– 115(2),352,110,117(2)
351(3),333 बी.एन.एस.
थाना– खड्डा,
जिला–कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1–यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्तगण विश्वनाथ साहनी व रवि साहनी की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28–10–2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता देवी द्वारा थाना खड्डा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 27–10–2025 को लगभग 11 बजे उसके पट्टीदार बच्चों के विवाद को लेकर उसके घर में घुंसकर विश्वनाथ साहनी, रवि साहनी, गोलू साहनी व एक अज्ञात ब्यक्ति गालियां देते हुए उसे, उसके पति संजय, उसके पति के भाई जितेन्द्र, उसके पुत्र अरून व घर के अन्य छोटे बच्चों को बुरी तरह से लात घूंसा व लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे जिससे उन्हे काफी चोटें आई। मारने पीटने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। दवा इलाज कराने के बाद वह सूचना दे रही है। चोट लगने से वह बेहोश हो गई थी। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूँठी,

फर्जी व मनगढ़न्त है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी घायल को प्राणघातक चोट आने की बात नहीं कही गई है। अभियुक्तगण द्वारा वादी पक्ष के किसी भी ब्यक्ति को मारा पीटा नही गया न ही जान से मारने की धमकी दी गई। अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को किसी भी प्रकार की प्राणघातक चोट नहीं पहुँचाई गई बल्कि वादिनी मुकदमा अभियुक्तगण पर दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा पंजीकृत कराई है। मामला क्रास केस पर आधारित है। स्वयं वादी पक्ष द्वारा बचाव पक्ष के लोगों का मारपीटकर घालय किया गया जिसके संबंध में बचाव पक्ष द्वारा वादी पक्ष के विरूद्ध मु०अ०सं०– 391/2026 पर धारा 191(2),115(2),352,351(3),333,110,324(4),303(2) बी.एन. एस. का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उसी मुकदमें से बचने के लिए यह फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है तथा विलम्ब का कोई कारण नहीं स्पष्ट किया गया है। अभियुक्तगण को दौरान विवेचना पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्तगण स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं। बचाव पक्ष को आई चोटों का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। किसी भी अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शाई गई है। जमानत के स्तर पर यह नहीं निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सा पक्ष अग्रेसर रहा है। अग्रेसर का विन्दु विचारण के स्तर पर ही निर्धारित हो सकता है। अभियुक्तगण इस मामले में अन्तरिम जमानत पर चल रहे हैं। आज उनके द्वारा अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्रीमती बच्ची देवी के मामले में स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया है कि यदि विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो जमानत के दौरान उन्हे जेल न भेजा जाय। तदनुसार अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व उसके पति संजय, उसके पति के भाई जितेन्द्र, उसके पुत्र अरून व घर के अन्य छोटे बच्चों को मारपीटकर घायल कर दिया गया तथा उन्हे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की याचना की गयी।

5–मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि उनके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व उसके पति संजय, उसके पति के भाई जितेन्द्र, उसके पुत्र अरून व घर के अन्य छोटे बच्चों को मारपीटकर घायल कर दिया गया तथा उन्हे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई।

घायल सुनीता के एक्स–रे रिपोर्ट में There is e/o linear transverse undisplaced fracture of distal shift of radius (likely at metaphysis–diaphysis junction) with no intra articular extension अंकित है।

चन्दन डायग्नोसिस सेन्टर गोरखपुर द्वारा जारी घायल संजय के

एन.सी.सी.टी. हेड रिपोर्ट में Subgaleal hematoma is seen in left parietal region अंकित है।

विवेचक द्वारा केस डायरी में डा० जुली चन्द का बयान अंकित किया गया है जिन्होंने विवेचक को बताया है कि मजरूबों के सिर में आई चोटें गंभीर प्रकृति की थी तथा समय से इलाज न हो पाने व अधिक रक्तस्राव से मृत्यु होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है घायल सुनीता देवी घटनास्थल पर बेहोश हो गई थी। अभियुक्तगण द्वारा घायल संजय के सिर पर चोट पहुँचाई गई है जो शरीर का मर्मस्थल है। इन चोटों से उसकी जान भी जा सकती थी। अभियुक्तगण द्वारा दुस्साहसिक तरीके से घटना कारित की गई है। अपराध की प्रकृति काफी गंभीर है। उक्त दिये गये कारणों के मद्देनजर अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्तगण विश्वनाथ साहनी व रवि साहनी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 27.06.2026
R.P. Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.27 15:16:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court